



सॉभर साल्ट्स लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)

सॉभरलेक-303604

जिला-जयपुर (राजस्थान)

CIN No. : U14220RJ1964GOI001188

Tel. No.: 01425-228249

Fax No. 01425-228244

Website: www.indiansalt.com

E-mail: ssl.gm-office@indiansalt.com

क्रमांक: 01-G.S./Auction/2020-21

दिनांक: 10/08/2021

--: निलामी सूचना ::--

सभी इच्छुक व्यक्तियों / स्क्रेप व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि सॉभर साल्ट्स लिमिटेड, प्रतिष्ठान सॉभर लेक के निम्नांकित स्क्रेपों की निलामी खुली बोली के माध्यम से कर के बेचान किया जायेगा।

Subject :- Disposal of Unserviceable scrap items.

S. No.	MATERIAL DESCRIPTION	Lot No.	Lot Name	QUANTITY (Approx.)	LOCATION	Minimum Cost per Unit (Per MT in Rs.)	EMD (Rs.)
1.	Old unserviceable metal scrap (such as Old M.S. Unserviceable Scrap items such as Gi pipes, MS Empty drums, Broken MG / NG Wagon wheel, M.S. rivets, MS Bucket, Spades, Panes, Wheel barrow, Nut & Bolt, Dog Spike, Push trolley, ele. Meter, Starter, Regulator, amp meter, voltage meter, Various tools, JCB piston rod, Gear box driver, old transmission assembly, Water / HSD oil tank & Old return to Store etc.)	Lot-1	MS Scrap	125.00 MT	Scraps dump yard / Gudha Salt Refinery, Gudha (Raj.)	₹ 31,700.00	₹ 1,98,125.00
2.	Old unserviceable metal scrap (such as old unserviceable under frame of MG with wheel & Axell = 11 Nos, Under Frame of NG wagon with wheel and axel = 11 Nos, MG wheel set = 18 Nos, NG wheel set = 44 Nos, Trolley wheel = 8 Nos, Movable roller crusher = 01 Nos).	Lot-2	MS Scrap	37.00 MT	Store No. 6 / R&D, Deodani, Sambhar Lake City (Raj.)	₹ 33,200.00	₹ 61,420.00
3.	Old unserviceable metal scrap (such as Old unserviceable rails released from MG / NG railway track).	Lot-3	MS Scrap	130.00 MT	Store No. 6 / R&D, Deodani, Sambhar Lake City (Raj.)	₹ 33,800.00	₹ 2,19,700.00

नोट :- लोट-1 से लोट-3 तक की खुली बोली (Open Bid) में भाग लेने से पहले सभी स्क्रेप व्यापारियों को कुल रूपसे: 4,79,245/- अमानत राशि के रूप में दिनांक:24/08/2021 को प्रात 11:00बजे तक जमा करवानी होगी।

अमानत राशि जमा करवाने के लिए कम्पनी के भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट नम्बर निम्नप्रकार से है :-

Account No.	11346146071
IFSC Code	SBIN0000712
Branch	Old Dhan mandi, Sambhar Lake -303604 Distt. - Jaipur (Raj.)
Payable to	Sambhar Salts Limited

उपरोक्त स्क्रेपों की निलामी हेतु खुली बोली (Open Bid) महाप्रबन्धक (कार्य) के कार्यालय में "जहाँ है जैसा है के आधार पर" की स्थिति में विक्रय किया जायेगा। अतः सभी स्क्रेप के इच्छुक व्यक्ति / व्यापारी महाप्रबन्धक (कार्य) के कार्यालय में खुली बोली लगाने हेतु दिनांक:24/08/2021 प्रात 11:00 बजे तक आमन्त्रित किया जाएगा। तत्पश्चात् उक्त क्रम में दिनांक:24/08/2021 को प्रात 11:30 बजे महाप्रबन्धक (कार्य), सॉभर लेक के कार्यालय में उक्त स्क्रेपों की खुली बोली लगाकर निलामी की जायेगी।

निलामी की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगे :-

- (1) खुली बोली (Open Bid) में उच्चतम कीमत देने वाली पार्टी / व्यक्ति को उच्चतम खुली बोली। लोट की कुल लागत की 15 प्रतिशत राशि उसी दिन जमा करानी होगी तथा शेष 85 प्रतिशत राशि (GST/अन्य करों के साथ) उसे पत्र द्वारा विक्रय स्वीकृत की सूचना देने के 10 दिनों के भीतर एक मुश्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
- (2) विक्रय निर्णय की स्वीकृती का अधिकार महाप्रबन्धक (कार्य), साँभर साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक को है जो किसी भी उच्चतम भाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कारण बताये उच्चतम भाव देने वाले व्यक्ति / पार्टी का कार्य-आदेश निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। विक्रय की वैधता पर 15 दिनों के लिए बाध्य रहना होगा।
- (3) यदि सफलतम् व्यक्ति / पार्टी को क्र.सं. 1 में अंकित समय तक विक्रय की समस्त राशि जमा कराने में असफल रहता है तो भुगतान की देय तिथी से दो सप्ताह कि अवधी तक भुगतान, कुल बिक्री मूल्य पर 1 प्रतिशत (1%) प्रति सप्ताह कि दर से भुगतान दंड के भुगतान पर स्वीकार किया जा सकता है। उसके पश्चात् उच्चतम कीमत देने वाली पार्टी / व्यक्ति द्वारा जमा करवायी गई सम्पूर्ण राशि को जब्त किया जा सकता है या उक्त क्रम संख्या: (1) में अंकित समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। जिसका निर्णय पूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, जोकि अन्तिम व सभी पार्टियों के बाध्य होगा।
- (4) सफलतम व्यक्ति / पार्टी के द्वारा जमा करवायी गयी अमानत राशि (EMD) को विक्रय के सही निष्पादन के लिये अमानत राशि समझा जायेगा और यह राशि उसे कम्पनी की समस्त शर्तें पूर्ण कर संतुष्ट करने के बाद लौटायी जायेगी।
- (5) महाप्रबन्धक (कार्य) साँभर साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक को विक्रय की पूरी राशि या किसी भी शर्तें / नियम को किसी भी व्यक्ति / पार्टी द्वारा पूरी करने में असफल होने पर बिना किसी पूर्ण सूचना के किसी भी समय विक्रय को निरस्त करने का अधिकार है।
- (6) किसी भी विवाद की स्थिती में महाप्रबन्धक (कार्य) साँभर साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
- (7) विक्रय के तहत जमा अमानत राशि विक्रय कार्यवाही की शर्तों / नियमों को पूरा करने पर वापस लौटायी जायेगी।
- (8) विक्रय कर (जी.एस.टी.) व अन्य कर नियमानुसार उच्चतम भाव देने वाले व्यक्ति / पार्टी को जिसको उक्त स्क्रैप विक्रय की जायेगी, को सामग्री की कुल लागत के अतिरिक्त देना होगा।
- (9) स्क्रैप का रजिस्ट्रेशन, विक्रय से सम्बन्धित अन्य कार्यवाही हेतु जो भी खर्च होगा वह क्रय करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति / पार्टी को वहन करना होगा।
- (10) विक्रय के पश्चात् लगने वाले समस्त खर्च खरीददार पार्टी को वहन करने होंगे तथा स्क्रैप "जहाँ है जैसी है आधार" पर ही बेचान किया जाएगा।
- (11) डिलीवरी के समय, वास्तविक मात्रा डिलीवरी आर्डर में उल्लिखित मात्रा से भिन्न (कम या ज्यादा) हो सकती है। यदि सामग्री कि मात्रा अधिक पायी जाती है तो ग्राहक को अपेक्षित भुगतान करने के पश्चात् अतिरिक्त मात्रा उठानी होगी।
- (12) सफलतम् बोलीदाता / पार्टी सुपुर्दगी आदेश की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों (तीस दिन) के भीतर अपने स्वयं के श्रम और परिवहन को नियोजित करके उन्हें आंवटित लौट में पड़ी विशिष्ट सामग्री को उठाना होगा।
- (13) सफलतम् बोलीदाता / पार्टी को तय समय सीमा में सम्पूर्ण लोट / लोटों को उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा पार्टी से सम्पूर्ण सामग्री तय समय सीमा में न उठाने पर जमीन का किराया वसुला जाएगा। ग्राउण्ड रेंट शेष सामग्री कि किमत का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह (@1% of unlifted material cost per week) देय होगा जोकि अधिकतम दो सप्ताह तक देय होगा। उसके पश्चात् विक्रेता के विवेक पर, बशर्तें कि फ्री लिफ्टिंग अवधी कि समाप्ती से पहले लिखित अनुरोध प्राप्त हो, निर्भर होगा। यदि विस्तार के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री आदेश / वितरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा और खरीददार को आगे सन्दर्भ दिए बिना अमानत राशि (EMD) स्वतः जब्त कर ली जायेगी।

- (14) सामग्री का चयन , अस्वीकार करना , छटाई करना , डी-स्कैलिंग , बर्निंग , हथौड़ा मारना , झाड़ना आदि कि अनुमती नहीं होगी।
- (15) विभिन्न लोटो में दर्शायी गई सामग्री का निरीक्षण पार्टियों द्वारा कार्यालय समय में दिनांक 23/08/2021 तक किया जा सकता है।
- (16) यदि किन्हीं कारणों से निलामी दिनांक:24/08/2021 को कार्यालय समय में पूर्ण नहीं होती है तो इसके आगे की कार्यवाही अगले दिन दिनांक:25/08/2021 को कार्यालय समय पर की जावेगी।

(17) मतभेद या विवाद :-

- (A) विवादों का पारस्परिक निपटारा :- अनुबन्ध में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, सभी विवादों को पहले स्थान पर आपसी विचार-विमर्श, बातचीत और परामर्श के माध्यम से दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों/नामितों को विवाद में शामिल करने के लिए हल किया जायेगा।
- (B) सुलह :- यदि आपसी निपटान के माध्यम से सभी या किसी भी विवाद को हल करने के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत कम्पनी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र सुलहकर्ता के पास भेजा जायेगा। समझौता अन्तिम व पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। निपटान समझौते में मध्यस्थता पुरस्कार की समान स्थिति और प्रभाव होगा।
- (C) मध्यस्थता :- (a) यदि सभी या किसी भी विवाद को पूरी तरह से हल करने के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारी महोदय, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जायेगा। पार्टी द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ कम्पनी का कर्मचारी है। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तो सक्षम अधिकारी, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड, ऐसी अक्षमता की स्थिति में, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति उन चरणों से सन्दर्भ के साथ आगे बढ़ने के हकदार होंगे। जिन पर उनके पूर्ववर्ती द्वारा इसे अधुरा छोड़ दिया गया था।
- (b) पूर्वोक्त शर्तों के अधिन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन और उसके तहत और कुछ समय के लिए लागु नियम इस खण्ड के तहत सुलह और मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागु होंगे।
- (c) विवादों और मतभेदों के लम्बित समाधान, कार्य बिना कार्य बाधा के समय-समय पर जारी रहेगा और न तो इसे धीमा किया जायेगा और न ही रोका जायेगा। यदि विवाद की अवधि के दौरान काम धीमा या बन्द कर दिया जाता है तो पार्टी काम के नुकसान/उत्पादन या देरी के लिए जिम्मेदार होगा और पार्टी द्वारा इस तरह के कार्यों के कारण कम्पनी को होने वाले किसी भी नुकसान को पूरा किया जावेगा।
- (d) मध्यस्थ समय-समय पर, सभी पक्षों की सहमति से, पुरस्कार (Award) देने में समय बढ़ा सकता है।
- (e) मध्यस्थ के लिए प्रारंगिक लागत मध्यस्थ के विवेक पर होगी। मध्यस्थता जयपुर (राजस्थान) में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर आयोजित की जावेगी। जिसे मध्यस्थ तय कर सकता है।
- (18) क्षेत्राधिकार :- न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर में होगा।



महाप्रबन्धक (कार्य)

SAMBHAR SALTS LIMITED

(A Government Enterprises) CIN: U14220RJ1964G01001188

Sambhar Lake-303604, Dist. Jaipur(Raj.)

Website: www.indiansalt.com, e-mail ID: purchase@indiansalt.com

NOTICE INVITING PUBLIC AUCTION

SSL Sambhar, Distt. Jaipur (Rajasthan) invites perspective bidders for participating in public auction for various scrap Lots at Sambhar/Gucha Detailed instruction along with terms and conditions are available on company's website: www.indiansalt.com

General Manager (Works)